

मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

संख्या—सं०का०१/वि०मं०(सदस्यों)४०२३/२००६—९३०/ दिनांक— २३ सितम्बर, २००६।

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, २००६ (अधिनियम सं०-१६, २००६) की धारा ४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :—

॥ नियमावली ॥

१. (१) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, २००६ कही जा सकेगी।
- (२) यह नियमावली पहली अक्टूबर, २००६ से प्रवृत्त होगी।
२. इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो :—
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, २००६।
 - (ख) "सदन" से अभिप्रेत है, यथारिथति, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद;
 - (ग) "दिन" से अभिप्रेत है कलेंडर वर्ष का मध्य रात्रि से चौबीस घंटे का दिन;
 - (घ) "निवास स्थान" से अभिप्रेत है, वह स्थान जो लिखित रूप में सूचित किया गया हो;

टिप्पणी :— निवास स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन नियमावली के आरंभ की तिथि से एक माह के भीतर सूचित को सूचित किया जाएगा।

- (ड) "सचिव" से अभिप्रेत है, यथारिथति, विधान सभा या विधान परिषद के सचिव तथा इसमें विधान सभा या विधान परिषद के सचिव द्वारा संशयित किये गये, यथारिथति, संयुक्त सचिव, उप सचिव या अवर सचिव सम्मिलित हैं।
- (च) "सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित कार्य" से अभिप्रेत है ऐसा कोई कार्य जो सामान्यतः सदन के क्लर्कों से उद्भूत हो और इसमें सदन या इसके पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गठित, मनोनीत या नियुक्त विभिन्न समितियों, आयोगों, बोर्डों या अध्ययन दलों के कार्य अथवा किसी ऐसी समिति या सेमिनार आदि में, सदन के आदेशों और विनियमों द्वारा समिति के सदस्यों को सौंपे गये अन्य कार्य शामिल हैं, किन्तु इसमें सरकार अथवा स्वाशासी निगमित निकायों द्वारा गठित, निमित्त या नियुक्त समितियों, आयोगों, बोर्डों और अध्ययन दलों में भाग लेना शामिल नहीं है।

- (छ) "माह" से अभिप्रेत है कैलेंडर वर्ष का माह;
- (ज) "प्राधिकृत चिकित्सक" से अभिप्रेत है राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक/विधायक अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा जिला के असेनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन)/ राज्य में स्थित केन्द्रीय, राजकीय अथवा निबंधित चिकित्सा संस्थान/राज्य सम्प्रेषित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी पदाधिकारी;
- (झ) "सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
- (ञ) "भरीज" से अभिप्रेत है, सदस्य अथवा उसके परिवार या वह सदस्य जो बीमार हो;
- (ट) "परिवार" से तात्पर्य है, सदस्य की पत्नी/पति, आश्रित अवयस्क पुत्र/पुत्री अथवा ऐसे माता/पिता जो पूर्णतः सदस्य पर आश्रित हों;
- (ठ) "उपचार" से अभिप्रेत है, राज्य में स्थित केन्द्रीय/राजकीय/निबंधित अस्पतालों/नर्सिंग होमों में अथवा सरकारी चिकित्सक द्वारा अनुशंसित देश के किसी भी मान्यताप्राप्त अस्पताल/ नर्सिंग होम में चिकित्सीय एवं शल्य क्रिया द्वारा उपचार;
- (ड) इस नियमावली में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अभिप्रेत होंगे जो नियमावली में इसके प्रति समनुदेशित किये गये हों।

3.

सदस्यों का वेतन। -

प्रत्येक सदस्य,

- (क) भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में विधिवत अधिसूचित किये जाने की तिथि से;
- (ख) राज्यपाल द्वारा जिस जगह के लिए मनोनयन किया जाना है, उस जगह के लिए उनके द्वारा मनोनयन की तिथि से या यदि मनोनयन, पदरिक्त होने के पूर्व किया जाता है, तो पद रिक्त के होने की तिथि से;

8000/- ₹60 प्रतिमाह की दर से वेतन एवं अनुमान्य भत्ते पाने के हकदार होंगे:

परन्तु जहाँ कोई व्यक्ति, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी निगम, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार के अधीन या किसी व्यक्ति से अपने वेतन का हकदार हो और उस सरकार, निगम, स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या व्यक्ति से वेतन प्राप्त करता हो और

- (i) यदि वह वेतन की राशि इस नियमावली के अधीन प्राप्त होने वाली वेतन की राशि के समतुल्य या उससे अधिक हो तो वह किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।

- (ii) यदि वह वेतन की राशि इस नियम के अधीन प्राप्त होनेवाली राशि से न्यून हो तो वह इस नियमावली के अधीन उसी राशि का हकदार होगा जो कम हो।
- (ग) उत्तरवर्ती नियमों के उपबंधों के अध्याधीन किसी सदस्य के किसी माह का वेतन उत्तरवर्ती माह के प्रथम दिन को देय होगा।
परन्तु किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की दशा में, उसका वेतन उसी दिन तक देय होगा जिस दिन वह स्थान रिक्त होता हो तथा वेतन की निकासी उसके परचात किसी भी दिन की जा सकेगी।
- (घ) स्थान रिक्त होने संबंधी सूचना की एक प्रति अंतिम वेतन विपत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

टिप्पणी - वेतन, भत्ते इत्यादि की निकासी, भुगतान एवं लेखा संधारण की प्रक्रियायें पूर्ववत् रहेंगी।

4. क्षेत्रीय भत्ता। - बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रतिमाह रु० 10000/- क्षेत्रीय भत्ता पाने का हकदार होगा।

5. मोटर गाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा। - बिहार विधान मण्डल के किसी सदस्य की मांग पर मोटर गाड़ी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य के समतुल्य राशि या अधिकतम छह लाख रुपये जो भी कम हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-

- (i) अग्रिम स्वीकृत करने हेतु वित्त विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी, गंजूरी पदाधिकारी होंगे। अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवश्यक आदेश वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे और स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण एवं वसूली, यथास्थिति, विधान सभा/परिषद् सचिवालय द्वारा किया जायेगा।
- (ii) मोटर गाड़ी अग्रिम की राशि (चेक/बैंक ड्राफ्ट) गाड़ी की कम्पनी/डीलर को सीधे भुगतान होगी।
- (iii) इस नियमावली के अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसे विधान मण्डल के सदस्य भी मोटर गाड़ी क्रय हेतु पुनः अग्रिम प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो पूर्व में मोटर गाड़ी क्रय हेतु ली गयी अग्रिम की पूर्ण राशि, ब्याज सहित, वापस कर चुके हों, अथवा शेष अग्रिम की राशि सूद सहित यदि एक मुश्त लौटा दें। विधान मण्डल के जैसे सदस्य, जो पुनः अग्रिम की मांग करते हों, उन्हें यथास्थिति, सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा कि पूर्व में ली गयी अग्रिम की राशि सूद सहित वापस कर दी गयी है।

परन्तु सदस्यों को एक कार्यकाल में सिर्फ एक बार कार-अग्रिम दिया जायेगा।

- (iv) यदि मोटरगाड़ी का वार्षिक मूल्य स्वीकृत धनराशि से कम हो तो शेष धनराशि सरकार को तुरत लौटा दी जायेगी।
- (v) स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व ही सदस्य को नियमावली के परिशिष्ट (क) में विहित प्रपत्र में एक अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत अग्रिम के आहरण के एक महीने के भीतर संबंधित सदस्य मोटरगाड़ी क्रय करके नियमावली की परिशिष्ट (ख) में विहित प्रपत्र में बंधक-पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त क्रय किये गये वाहन को बिहार राज्यपाल के नाम बंधक रखा जायेगा। अनुबंध-पत्र और बंधक-पत्र सुरक्षा तथा अभिलेख हेतु सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (vi) मोटर गाड़ी अग्रिम पर 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (vii) मोटर गाड़ी अग्रिम की वसूली 60 (साठ) समान मासिक किश्तों में और यदि संबंधित सदस्य की विधान मण्डल की सदस्यता की अवधि 5 वर्षों से कम हो, तो ऐसी सदस्य की सदस्यता की आगामी अवधि के भीतर साठ से कम समान मासिक किश्तों में की जा सकेगी।
- (viii) इस नियमावली के अधीन स्वीकृत अग्रिम तथा इस पर देय ब्याज की वसूली सदस्यों से उनके वेतन एवं भत्ते, यात्रा-भत्ता या किन्हीं अन्य भत्ता या बिल से विधान सभा/विधान परिषद् के सचिव द्वारा अपेक्षित धनराशि की कटौती की जायेगी।
- (ix) यदि ऋणी विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय, तो मोटरगाड़ी अग्रिम की राशि, ब्याज सहित उनकी सदस्यता की अवधि की समाप्ति के बाद भी उनको देय पेंशन से वसूल की जायेगी।
- (x) अग्रिम की वसूली मोटरगाड़ी क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के तुरत बाद बाले माह से प्रारम्भ होगी।
- (xi) सदस्य के अग्रिम की, ब्याज सहित, अवशेष सम्पूर्ण धनराशि नियत अवधि से पहले एकमुश्त जमा करने की छूट होगी।
- (xii) यदि अग्रिम प्राप्त करने वाला सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाय तो भुगतय ब्याज की दर, उसकी वसूली हेतु निर्धारित किश्तों की संख्या एवं अन्य शर्तें बड़ी रहेंगी, जो इस नियमावली के अधीन विधिरा की गयी है।
- (xiii) अग्रिम एवं ब्याज की वसूली का लेखा, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा रखा जायेगा। पेंशन से वसूली की स्थिति में, संबंधित जिले के कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह इस आशय का एक प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को प्रेषित किया जायेगा कि संबंधित व्यक्ति से संबंधित माह में अग्रिम/ब्याज की किश्त की वसूली कर ली गयी है और सुरांगत प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कर दिया गया है।

(xiv) यदि अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली के पहले ही सदस्य की मृत्यु हो जाये या वह किसी भी कारण से विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और वह पेशन का हकदार न हो, या उसे किसी भी कारण से पेशन नहीं प्राप्त हो या पेशन बंद हो जाय और किसी अन्य कारण से वह अग्रिम/ब्याज की किस्तों का नियमित भुगतान नहीं कर पाये तो अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की अवशेष धनराशि, राज्य सरकार द्वारा वसूलनीय होगी और राज्य सरकार अवशेष राशि को सदस्य या उसके विधिक उत्तराधिकारियों से किसी भी तरह अथवा लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन लोक मांग वसूली के रूप में वसूली कर सकेगी।

(xv) 1- यदि जिस वाहन का क्रय सरकार से प्राप्त अग्रिम की सहायता से किया गया हो परन्तु अग्रिम की राशि अभी वसूल नहीं हो, वैसी स्थिति में, गाड़ी को, उधार लेने वाला सदस्य, राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर बेच सकता है।

2- राज्य सरकार, जैसे दृष्टांत में जिसमें अग्रिम की पूर्ण वसूली के पूर्व ही नये वाहन के क्रय हेतु पूर्व में अग्रिम से लिया गया वाहन बेचा जाता है, ऐसी विधि से प्राप्ता राशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन, नये वाहन के क्रय हेतु करने की इकीकृति दे सकते हैं :-

(क) बकाया अग्रिम की राशि क्रय किये जानेवाले वाहन की कीमत से ज्यादा न हो,

(ख) बकाया अग्रिम की राशि पूर्व से निर्धारित किस्तों एवं ब्याज की दर पर वसूल की जायेगी,

(ग) नये क्रय किये जानेवाले वाहन को बीमा कराकर राज्यपाल के नाम बंधक रखना होगा।

6. स्टेशनरी की सुविधा। - बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को भारत चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि से संसदीय कार्यों के सम्पादन के क्रम में पोस्टल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय वहन करने के लिए 4000/- (चार हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से स्टेशनरी भत्ता भुगतये होगा।

7. निजी सहायक की सुविधा। - प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से संसदीय कार्यों में सहायता के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन निजी सहायक/सहायकों को रख सकेगा, जिसके लिए उन्हें मात्र 10000/- (दस हजार) रुपये प्रतिमाह भुगतये होगा:

परन्तु, यह कि एक से अधिक निजी सहायक रखने पर भी अधिकतम 10000/- रु० प्रतिमाह ही देय होगा और यह राशि सीधे निजी सहायक/सहायकों को ही भुगतये होगा।

- (1) निजी सहायक/सहायको को रखने के बाद उन्हें, यथाशीघ्र, इसकी सूचना, यथास्थिति, सचिव, विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय को विहित प्रपत्र में देनी होगी। विहित प्रपत्र बिहार विधान सभा सचिवालय/बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा विहित किया जायेगा।
- (2) निजी सहायक/सहायको को प्रतिमाह रुपये 10000/- (दस हजार) की राशि, इसके लिए विपत्र प्रस्तुत करने पर, दी जायेगी। यह राशि सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का भाग नहीं होगी।
- (3) सहायक को हटाकर दूसरे व्यक्ति को सहायक रखने का अधिकार सदस्य को होगा एवं उन्हें इसकी जानकारी, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को पुनः विहित प्रपत्र में देनी होगी।
- (4) निजी सहायक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, बिहार सरकार अथवा बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मचारी होने का दावा नहीं करेगा तथा बिहार सरकार अथवा बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् में नियुक्त होने हेतु उसका कोई दावा ग्रहणीय नहीं होगा।

2.

यात्रा भत्ता। -

- (क) प्रत्येक सदस्य, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उप चुनाव अथवा मनोनयन की दशा में, यथास्थिति, विधान मण्डल के संयुक्त अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् के अन्य अधिवेशन में पहली बार उपस्थित होने के निमित्त, रेल यात्रा की दशा में, प्रथम श्रेणी/ए०सी० टू-टीयर के किराये के इगोडा भाड़ा तथा निजी कार से यात्रा की दशा में, प्रति किलोमीटर 10/- रुपये मील भत्ता पाने का हकदार होगा;
- (ख) प्रत्येक सदस्य, यथास्थिति, विधान मंडल का संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा या विधान परिषद् का अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् की समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में भाग लेने के निमित्त अपने सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहां संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् का अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् की समिति की बैठक या अन्य कार्य किया जानेवाला हो, उनके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा और ऐसे स्थान से अपने सामान्य निवास स्थान की वापसी यात्रा के लिए केवल निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा:-
 - (i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/ए०सी० टू-टीयर के किराये की आधी रकम की दर से आनुषांगिक खर्च;
 - (ii) राज्य पथ परिवहन सेवा की बसों द्वारा की गयी हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़ा के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक खर्च;
 - (iii) प्राईवेट बस द्वारा की गयी यात्रा के लिए बस भाड़े की द्यूनी राशि का भुगतान;

- (iv) निजी कार से सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए 10/- प्रति किलोमीटर की दर से मील-भत्ता देय होगा।
- (v) जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए वार्षिक खर्च:

परन्तु जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता है तथा नदी के पार जाना हो तो वह मील भत्ता के अतिरिक्त वार्षिक जल-परिवहन खर्च पा सकेगा:

परन्तु सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए मील भत्ता, प्रत्येक सत्र के आरंभ में सदन की बैठक में भाग लेने के लिए और सत्रावसान के बाद अपने स्थायी निवास स्थान वापसी के लिए, सिर्फ एक बार भुगतेंय होगा:

परन्तु और कि इस रकम का भुगतान उसी अवस्था में किया जायेगा जब सदस्य के पास निजी मोटर कार हो तथा वे इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उन्होंने वारतव में उक्त यात्रा अपनी मोटर कार से की है:

परन्तु और भी कि यदि कोई सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् की समिति की बैठक में भाग लेने के प्रयोजनार्थ निजी कार से यात्रा करे तो वह 10/- रु० प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता पाने का हकदार होगा किन्तु यह समिति की बैठक की समाप्ति के तत्काल बाद की गयी यात्रा अवधि के लिए ही अनुमान्य होगा और एक माह में ऐसी सिर्फ दो यात्राएँ ही अनुमान्य होंगी। मील भत्ता उसी सदस्य को भुगतेंय होगा जो इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है। ऐसे सदस्य को, जिनके पास निजी गाड़ी नहीं है, उन्हें इस प्रयोजनार्थ एक माह में मात्र दो चार रेल की यात्राओं के लिए प्रथम श्रेणी/ए०सी० टू-टोयर का ड्योडा रेल भाड़ा भुगतेंय होगा:

परन्तु और आगे कि राज्य के बाहर, रेल मार्ग से जुड़े स्थानों से भिन्न, किसी अन्य स्थान के लिए की गई यात्रा हेतु प्रति किलोमीटर 10/- रुपये की दर से मील भत्ता भुगतेंय होगा:

परन्तु यह और आगे भी कि वैसे सदस्य को कोई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा, जो साधारणतः उस स्थान से पांच किलोमीटर के भीतर रहते हों, जहाँ संयुक्त अधिवेशन अथवा विधान सभा/विधान परिषद् का अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् की समिति की बैठक हुई हो या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य किया गया हो।

- (ग) नियमावली के अधीन जिस यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता अनुमान्य है और जो रेल या सड़क द्वारा अथवा अशतः सड़क और अशतः रेल द्वारा तय की जा

सकती हो उसके लिए यात्रा-भत्ता सबसे शरतें और निकटतम मार्ग के यात्रा-भत्ता तक सीमित रहेगा चाहे वह किसी प्रकार की यात्रा की गई हो।

(घ) यदि अधिवेशन लगातार अधिक 21 दिनों से अधिक हो, और किसी सदस्य ने 15 दिनों तक अधिवेशन में भाग लिया हो, तो वह सरकारी खर्च पर एक बार घर लौटने के लिए अधिवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान पर जाने और अपने निवास स्थान से अधिवेशन के स्थल तक वापस आने के लिए निम्नलिखित दर से यात्रा-भत्ता पाने का हकदार होगा, वशतः कि उक्त यात्राएँ बस्तुतः की गई हों और सदस्य द्वारा उसी अधिवेशन में पुनः भाग लिया गया हो :-

- (i) रेल द्वारा की गई हर एक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/एसी0 टू-टीयर के किराये की आधी रकम एवं आनुषांगिक चार्ज;
- (ii) राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से की गई हर एक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़े के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक चार्ज;
- (iii) प्राईवेट बस द्वारा की गई यात्रा के लिए बस भाड़े की तुल्य राशि का भुगतान और
- (iv) निजी कार से की गयी यात्रा की दशा में, 10/- रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता;
- (v) जल मार्ग से की गयी यात्रा की दशा में वास्तविक खर्च;

परन्तु यह भी कि जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता हो तथा नदी के पार जाना हो, तो वह मील भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल-परिवहन खर्च पा सकेगा:

परन्तु, सदस्य को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है।

स्पष्टीकरण - "अविच्छिन्न अधिवेशनमाला" वह मानी जायेगी जिसमें किन्हीं दो अधिवेशनों के बीच शनिवार और रविवार सहित नौ या उससे कम दिनों का अन्तराल बड़े जिसमें कोई अधिवेशन न हुआ है।

(ङ) यात्रा-भत्ता, यात्रा पूरी करने के बाद, भुगतान होगा और इसके लिए सदस्य विहित प्रपत्र में दावा करेंगे जो सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सचिव ऐसे विपत्रों पर, इस बात का अपना पूरा समाधान कर लेने के बाद प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे कि सदस्य ने रेल या सड़क यात्रा में निकटतम मार्ग से लोच-हित में और सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अधिवेशन में या किसी कार्य में भाग लेने के लिए यात्रा की है। सचिव का यह दायित्व होगा कि सदस्य द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों के संबंध में अपना समाधान कर लें।

दैनिक भत्ता। —

- (1) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सदस्य हर निवास दिन या उसके किसी अंश के लिए पटना में प्रतिदिन 500/- रु० की दर से एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य के अन्दर अधिकतम बीस दिनों के लिए प्रतिदिन 500/- रु० तथा राज्य के बाहर अधिकतम 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 1000/- रु० दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा:

परन्तु बैठक में भाग लेने हेतु की गयी यात्रा की अवधि एवं बैठक में भाग लेने के पश्चात् वापस लौटकर आने के लिए की गयी यात्रा की अवधि निवास दिन के रूप में जोड़ी जायेगी।

- (क) विधान सभा/विधान परिषद् के अधिवेशन में या संयुक्त अधिवेशन में उपरिथत होने के प्रयोजनार्थ।

स्पष्टीकरण — इस निवास दिन में विधान सभा या विधान परिषद् का अधिवेशन या संयुक्त अधिवेशन प्रारंभ होने के पूर्व तथा समाप्त होने के बाद का अधिक से अधिक एक दिन के निवास की अवधि भी शामिल है :

परन्तु इसके लिए सदस्यों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन दिनों उस स्थान पर उपरिथत र्थे जहाँ ऐसे अधिवेशन हुए हों:

परन्तु और कि यदि इस नियम के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ एक ही अधिवेशन में नौ या उससे कम दिन का अन्तराल पड़े जाय जिराके द्वारा कोई अधिवेशन न हो, तो सदस्य ऐसे अधिवेशन के लिए विहित दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होंगे, बशर्ते कि उक्त अन्तराल के पहले के अंतिम दिन तक अधिवेशन में तथा बाद वाले अधिवेशन में भाग लिया हो।

स्पष्टीकरण — (1) किसी तिथि को बैठक की समाप्ति पर समास्थल पर यदि कोई सदस्य आये किन्तु सदन की बैठक में भाग नहीं ले सके तो उसका उस दिन समा-स्थल पर उठरना सदन की बैठक में भाग लेने के लिए आवास नहीं माना जाय जबतक कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या समापति, द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाय।

(2) "अविच्छिन्न अधिवेशनमाला" वह गानी जायेगी जिसके किन्ही दो अधिवेशनों के बीच शनिवार और रविवार सहित नौ या उससे कम दिनों का अन्तराल पड़े जिसमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ हो।

- (ख) विधान मंडल की समिति की बैठक में सम्मिलित होने के प्रयोजनार्थ।

राज्य के भीतर स्थल अध्ययन यात्रा के लिए समिति के सदस्यों को सरकार के संबंधित विभाग के द्वारा गाड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।

- (ग) सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्यों में भाग लेने के प्रयोजनार्थ।
- (2) यदि कोई सदस्य इस नियम 8 के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अधिवेशन के स्थान पर बीमार पड़ जाय और अधिवेशन में भाग लेने में असमर्थ हो जाय तो वह बीमारी की अवधि के लिए, जो एक वित्तीय वर्ष में (1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक) 21 दिनों से अधिक न होगी, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा बशर्ते कि यह, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद के पीठासीन पदाधिकारी से उनके समाधान के अनुरूप अपनी बीमारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे:

परन्तु यदि कोई सदस्य इस नियम 8 खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अस्पताल में अन्तर्वासी रोगी के रूप में पूरी अवधि के लिए, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद के पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष संतोषप्रद विधिपूर्वक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

10. रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। - प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्पादन हेतु उन्हें एक सहयात्री के साथ प्रथम ए०सी०, द्वितीय ए०सी०, तृतीय ए०सी० श्रेणी में भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्राओं के लिए, प्रतिवर्ष अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये मूल्य का रेलवे कूपन दिये जायेंगे। सदस्य इस कुल 1.50 लाख रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए निजी परिवार के सदस्यों के साथ अधिकतम 75000/- रुपये के हवाई यात्रा के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण। - "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि होगी।

11. सदस्यों को आवास की सुविधा। - प्रत्येक सदस्य को, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से, या उसके कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, पटना में ऐसी रियायती दर एवं अन्य शर्तों के अधीन मकान किराये का भुगतान करने पर, आवास उपलब्ध किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार का मदन निर्माण एवं आवास विभाग, यथास्थिति, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद के सभापति की सहमति से समय-समय पर, यथास्थिति, नियमों द्वारा अवधारित एवं विहित करे।
12. चिकित्सा की सुविधा। -
- (1) बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से या उनके कार्यकाल का आरम्भ होने की तिथि से, राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के समान चिकित्सा सुविधायें अनुमान्य होंगी।

- (2) बिहार विधान मण्डल के ऐसे सदस्यों की, गंभीर बीमारियों यथा— गुर्दा रोग, हृदय रोग, कैंसर, लकवा, रेटिना डीटैचमेंट, गुर्दा प्रत्यारोपन तथा एड्स या बड़ी दुर्घटना की स्थिति में, चिकित्सा पर होनेवाले व्यय का वहन राज्य सरकार करेगी:

परन्तु बीमारी की चिकित्सा की अनुशंसा अनिवार्य होगी और सदस्य के अनुरोध पर विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सा पर होनेवाले अनुमानित व्यय का 75 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अग्रिम के रूप में दी जायेगी, शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान, चिकित्सा पर हुये व्यय का व्योरा समर्पित करने पर किया जायेगा तथा सदस्य को सिर्फ एक सहयोगी का यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

- (3) विधान मण्डल के किसी सदस्य एवं उनके परिवार के किसी सदस्य के बाह्य चिकित्सा (ओपीडी) एवं अर्न्तवासी चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवधारित नियमावली की शर्तों के अधीन की जायेगी।
13. विदेश यात्रा की सुविधायें। — सदस्य लोक कार्य से विदेश जाते हैं, तो उन्हें संसद सदस्य के समतुल्य विमान भाड़ा, दैनिक भत्ता आदि की सुविधायें अनुमान्य होंगी:

परन्तु सदस्य राज्य सरकार की अनुमति लेकर ही विदेश यात्रा पर जा सकेंगे।

14. सदस्यों को टेलीफोन की सुविधा। — प्रत्येक सदस्य को, भारत निर्वाचन आयोग की अधिरूचना की तिथि या उनके कार्यकाल की तिथि से, उनके पटना स्थित आवास पर एवं निर्वाचन क्षेत्र या सामान्य निवास पर एक-एक टेलीफोन की सुविधा अनुमान्य होगी। यह दूरभाष, यथास्थिति, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् के नाम से लगाया जायेगा तथा इसे पटना स्थित आवास के टेलीफोन के द्वय मासिक विपन्न एवं सेवा शुल्क का भुगतान, यथास्थिति विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा किया जायेगा।

- (क) निर्वाचन क्षेत्र या निवास स्थान पर सदस्य द्वारा स्थापित टेलीफोन के विपन्न का भुगतान सदस्य स्वयं करेंगे। टेलीफोन विपन्न भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा टेलीफोन के स्थानीय कॉल शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति, यथा विहित स्थानीय कॉल सीमा के अधीन रहते हुए, सदस्य को की जायेगी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र/सामान्य निवास स्थान पर अधिष्ठापित टेलीफोन का मासिक/द्वैमासिक रेंटल राशि की भी प्रतिपूर्ति की जायेगी किन्तु अधिष्ठापन शुल्क एवं सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

- (ख)(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक सदस्य को उनके पटना आवास एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र आवास पर अधिष्ठापित दोनों टेलीफोनों को मिलाकर अधिकतम निःशुल्क कॉलों की सीमा 1,00,000 (एक लाख) स्थानीय कॉल तक नियत होगी:

परन्तु किसी वित्तीय वर्ष में यदि नियत कॉल सीमा से कम कॉलों का उपयोग किया जाता है तो शेष कॉल अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत कर के

समायोजित किया जायेगा एवं अगले वित्तीय वर्ष की कॉल सीमा तदनुसार संशोधित हो जायेगी:

परन्तु और कि सदस्य उसी वित्तीय वर्ष सीमा के अधीन रहते हुए, मोबाइल/इंटरनेट का उपयोग एवं रिचार्ज कूपन की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे।

- (ii) किसी वित्तीय वर्ष में सदस्य के पटना आवास एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र आवास पर अधिष्ठापित दोनों टेलीफोनों को मिलाकर नियत रथानीय कॉल सीमा की राशि से अधिक राशि का भुगतान, यदि आवश्यक हो, यथास्थिति, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् द्वारा मात्र पटना स्थित आवास पर बिहार विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा स्थापित टेलीफोन के मामले में, की जा सकेगी किन्तु इस राशि की कटौती संबंधित सदस्य के वेतन एवं भत्ते से की जायेगी।
- (ग) सदस्यों को अनुमान्य दूरभाष की सुविधायें उनकी सदस्यता समाप्त होने पर स्वतः समाप्त मानी जायगी।
15. सदस्यों को विद्युत एवं जल विपन्न के भुगतान की सुविधा। - प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 2000 यूनीट तक के विद्युत विपन्न का भुगतान, यथास्थिति, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् सचिवालय के द्वारा मात्र पटना निवास के लिये किया जायेगा। उक्त सीमा से अधिक विद्युत की खपत होने पर उसका भुगतान सदस्यों को स्वयं करना होगा किन्तु जलापूर्ति के लिए कोई कर उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
16. उपस्कर की सुविधा। - प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद, विधान मंडल के सदस्य को स्थान ग्रहण करने के बाद ₹0 25000/- उपस्कर के लिए, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा भुगतये होगा। यह सुविधा उन्हें पूरे कार्यकाल में एक बार ही अनुमान्य होगी।
17. पूर्व सदस्यों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएं। -
- (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो बिहार विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत हुआ हो, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित करने या बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाने की तिथि से या उनका कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, 6000/- रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन पाने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वर्ष की राशि होने पर 500/- की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा:
- परन्तु छह माह से अधिक एवं एक वर्ष से कम अवधि की गणना पूरे वर्ष के रूप में की जायेगी:
- परन्तु यह भी कि तेरहवीं बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि/उक्त विधान सभा का कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व-सदस्यों की भांति पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि की सुविधाएं अनुमान्य होंगी।

(2) जहाँ उप नियम (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति :-

- (i) राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित, या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्ति हो जाये, या
- (ii) संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् का सदस्य हो जाये, या
- (iii) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी प्राधिकार या किसी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित हो जाये अथवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार के किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हो जाये,

वहाँ ऐसा व्यक्ति, उस अवधि के लिए उप नियम (1) के अधीन किसी पेंशन का हकदार नहीं होगा जिस अवधि के दौरान वह वैसा पद धारण करता रहा हो या वैसे सदस्य के रूप में बना रहा हो या इस प्रकार नियोजित रहा हो या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहा हो:

परन्तु जहाँ ऐसा पद धारण करने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने पर ऐसे व्यक्ति को देय वेतन या जहाँ ऐसे व्यक्ति को खण्ड (iii) निर्दिष्ट देय पारिश्रमिक, उप नियम (1) के अधीन उसे देय पेंशन से कम हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति इस नियमावली के अधीन पेंशन के रूप में सिर्फ शेष रकम ही प्राप्त करने का हकदार होगा।

- (3) पारिवारिक पेंशन की सुविधा। - ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उप नियम (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी/ पति को आजीवन पारिवारिक पेंशन नीचे अंकित दर पर दिया जायेगा।

“पेंशन की राशि का 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन नुसतेय होगा”:

परन्तु, उप नियम (1) का उपबंध एवं शर्त मृत व्यक्ति की पत्नी/पति पर भी लागू होंगे:

परन्तु, और कि यदि पारिवारिक पेंशन पानेवाला व्यक्ति अगर शादी कर ले तो ऐसी दशा में पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकारी नहीं रह जायेगा।

- (4) रेलवे कूपन की सुविधा। - ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उप नियम (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, अपने एक सहयात्री के साथ प्रथम ए०सी०/द्वितीय ए०सी०/तृतीय ए०सी० में प्रत्येक वर्ष 75000/- रुपये मूल्य के रेल कूपन पर यात्रा करने का हकदार होगा।
- (5) चिकित्सा सुविधा। - उप नियम (1) के अधीन पेंशन पानेवाले मृतपूर्व विधायक को आजीवन निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या, दवा की आपूर्ति तथा अस्पताल में भर्ती होने की सुविधायें उस पैमाने एवं शर्त पर प्रदान की

जायेगी जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर नियमों द्वारा विहित की जाय।

18. राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने तथा समय-समय पर उसमें संशोधन का अधिकार होगा।

19. **निरसन एवं व्यावृत्ति। -**

- (i) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायेगी :-

- (1) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों के वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1961.
- (2) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों की दूरभाष सुविधायें) नियमावली, 1976.
- (3) बिहार विधान मण्डल सदस्यों के सहयोगी (रेलवे कूपन एवं रोड पास) नियमावली, 1976.
- (4) बिहार संसदीय सचिव (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1978.
- (5) बिहार संसदीय सचिव (मोटर कार अग्रिम) नियमावली, 1961.
- (6) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों को मोटर गाड़ी हेतु अग्रिम) नियमावली, 1993.

- (ii) ऐसे निरसन होते हुए भी, उपर्युक्त उक्त नियम (1) उल्लेखित नियमावलियों के अधीन इस नियमावली के आरम्भ के पूर्व की गई किसी कार्रवाई या किये गये कुछ भी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

भोगेन्द्र झा,
सरकार के उप सचिव।

मोटरकार खरीदने के निमित्त अधिमत के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

आवेदक का पूरा नाम :-

ग्राम संख्या:-

पिता/पति का नाम :-

आवेदक का पदनाम :-

कार्यालय का नाम :-

घर का स्थायी पता :-

पदना का वर्तमान पता :-

मोटर कार का अनुमानित मूल्य :-

अवेधित अधिमत की रकम :-

सदस्यता समाप्ति की तिथि :-

अधिमत बटौती के किस्मों की सूची :-

क्या आपने ऐसे काम के लिए प्रस्ताव भी अधिमत लिया है :-

यदि हाँ तो- (क) अधिमत पाने की तारीख :-

नई मोटरकार खरीदना चाहते हैं या पुरानी :-

अधिमत प्राप्त की तारीख से एक महीने के भीतर मोटरकार खरीद लेंगे ।

सदस्यता की श्रेणी अवधि :-

निकासी एवं व्यवस्थापक अधिकारी का पता तथा किस फौजदारी से

निकासी की जायेगी :-

आवेदक का हस्ताक्षर-
सदस्य, बिहार विधान सभा/परिषद,
तिथि-

परिभाषा - "क"

मोटर गाड़ी क्रय करने के लिए अधिमान, निष्पादित किये जानेवाले करार का प्रथम

उक्त करार अथवा विभाषा-

संबन्धित पत्र

संघर्ष दिनांक-

को श्री/श्रीमती/कुमारी

निवासी

आत्मक/पत्नी/आश्रित

(पदनाम) राज्य विधान सभा/परिषद् के सदस्य/ (जिसके आगे) उधार लेने वाला कहा गया है और जिस पर के अन्तर्गत उक्तके विधायक प्रतिनिधि और सम्बन्धितता भी है । एक पक्ष और बिहार के राज्यपाल (जिन्हें आगे) राज्यपाल कहा गया है । दूसरे पक्ष को बीच किये गया ।

यूके-उधार लेने वाले ने बिहार राज्य विधान मंडल सदस्यों को मोटर गाड़ी क्रय हेतु अधिमान (निष्पादनी-1993) जिसे आगे (उक्त निष्पादनी) "कहा गया है । मोटर गाड़ी क्रय करने के लिए ----- रूपधरे) केवल रूपधरे) कर्षण की स्वीकृति के लिये राज्यपाल को आवेदन किया है और राज्यपाल आगे दिधे मधे निष्पादनी और उधार लेने वाले उधार लेने वाले को उक्त धनराशि उधार के लिए सहमत है,

अतएव अब इस करार पत्र के द्वारा पक्षधरों को मध्य एतद् द्वारा यह करार किया जाता है कि राज्यपाल द्वारा उधार लेने वाले को रूपधरे) केवल

-----रूपधरे) की धनराशि का भुगतान किये जाने (जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाले एतद् द्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफल स्वरूप उधार लेने वाले राज्यपाल से यह करार करता है कि (1) उधार लेने वाला राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में प्रवेश होने वाले वोटन-धारा प्राप्ति भला, दैनिक पत्र, प्रतिकर आवास भले और अन्य सुविधा में से या उक्त निष्पादनी में पक्ष उपस्थित आनी पेशन या उसे प्राप्त होने वाली किसी अन्य धनराशि से भातिक धटोली कराकर, जिसके लिए उधार लेने वाला एतद् द्वारा राज्यपाल को प्राधिकृत करता है, उक्त धन पर उक्त निष्पादनी के अनुसार संगभित मुद्रा सहित राज्यपाल को भुगतान करेगा और (2) उक्त करार-पत्र के निष्पादन की तिथि से एक मास के भीतर, उक्त धनराशि मोटर गाड़ी क्रय करने में व्यय करेगा तथा यदि भुगतान किया गया प्राप्ति स्वरूप अधिमान को धनराशि से कम है तो अन्तर की धनराशि राज्यपाल को तुरन्त वापस करेगा और (3) उक्त मोटर गाड़ी को सक्रिय रूप से इस पर संगभित मुद्रा की धनराशि की प्रतिनिधित्व स्वरूप राज्यपाल के पक्ष में बन्धक करते हुए उक्त निष्पादनी में दिए हुए पत्र में बन्धक पत्र निष्पादित करेगा और एतद् द्वारा अग्रोत्तर यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मोटर गाड़ी को इस करार पत्र के दिनांक से एक मास के भीतर उपर्युक्त के अनुसार धरौदा और आश्वासन नहीं रखता है या यदि उधार लेने वाला उक्त अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या यदि किसी भी कारण से राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं रह जाता है और पेशन का हनकार नहीं होता चाहे किसी भी कारण से उक्त पेशन नहीं मिलती है या पेशन मिलना बंद हो जाता है या धन की प्रतिसंधय किस्तों का उक्त पर समाप्त का भुगतान करने में असफल रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अधिमान को सम्पूर्ण धनराशि उधेर उक्त पर देय मुद्रा तुरन्त देय और संदेय हो जावेगा ।

उधार लेने वाला एतद् द्वारा यह करार करता है और घोषणा करता है कि राज्यपाल, राज्य विधान सभा/विधान परिषद् के प्राथम्य-पत्र पर जो अधिमान निष्पादनी और उधार लेने वाली पर

साध्यकर होगा इसके अधीन समस्त देयों को उधार लेने वाले पर अनुसूचित होगा इसके अधीन समस्त देयों को उधार लेने वाले के द्वारा उधार लेने वाले को उधार लेने वाले पर अनुसूचित कर लयते हैं और अन्ततः यह करार किया जाता है और योजना को जारी है कि जिनके द्वारा उधार लेने वाले को उधार लेने वाले के विधिक प्रतिनिधियों से लो घांग के रूप में अनुसूचित करने के उद्देश्य होगा ।

निसूक्त समस्त में उधार लेने वाले में उपर प्रथम उल्लिखित विस्तृत और वर्ष को इन पर अपना हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

निम्नलिखित उपस्थिति में ---

प्रारंभ उल्लेखित किया गया ।

(नाम, पता सुदित)

- (1)
- (2)

APPENDIX B
FORM OF MORTGAGE BOND FOR MOTOR CAR ADVANCE
UNDER THE MEMBERS' MOTOR CAR ADVANCE RULES, 1993

THIS INDENTURE MADE this day of
one thousand five hundred and between
..... (hereinafter called "the Borrower", which expression shall
include his heirs, administrators, executors and legal representatives of the
one part and the Governor of Bihar (hereinafter called "the Governor",
which expression shall include his successors and assignees) of the other
part: Whereas the Borrower has applied for and has been granted an
advance of Rupees to purchase a motor car on the terms of
the rules in the Members' Motor Car Advance Rules, 1993 (hereinafter
referred to as "the said Rules", which expression shall include any
amendment thereof or addition thereto for the time being in force) AND
WHEREAS one of the conditions upon which the said advance has
been/was granted to the Borrower was that the Borrower will/would
hypothecate the said Motor Car to the Governor as security for the amount
lent to the Borrower AND WHEREAS the Borrower has purchased with or
partly with the amount so advanced the aforesaid the Motor Car particulars
whereof are set out in the Schedule hereunder written.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the
said agreement and for the consideration aforesaid the Borrower doth
hereby covenant to pay to the Governor the sum of Rs.
aforesaid for the balance thereof remaining unpaid at the date of these
present by equal payments of Rs. each on the first day
of every month without any interest accruing on the sum for the time being
remaining due and the Borrower doth agree that payment may be recovered
by monthly deductions from his salary in the manner provided by the said
Rules, and in further pursuance of the said agreement the Borrower doth
hereby assign and transfer unto the Governor the Motor Car the particulars
whereof are set out in the Schedule hereinto written by way of security for
the said advance without any interest accruing thereon as required by the
said Rules: And the Borrower doth hereby agree and declare that he has
paid in full the purchase price of the said Motor Car and that the same is his
absolute property and that he has not pledged and so long as any money
remains payable to the Governor in respect of the said advance, will not
sell, pledge or part with the property in or possession of the said Motor Car.

Provided always and it is hereby agreed and declared that if any of the said instalments shall not be paid or recovered in manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower shall die or at any time cease to be a Minister or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in or possession of the said Motor Car or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgment against the Borrower the whole of the said sum which shall then be remaining due and unpaid shall forthwith become payable AND IT IS HEREBY AGREED AND declared that the Governor may on the happening of any of the events hereinbefore mentioned seize and take possession of the said Motor Car and either remain in possession thereof without removing the same or else may remove and sell the said Motor Car either by public auction or private contract and may out of the sale moneys retain the balance of the said advance then remaining unpaid without any interest accruing thereon as aforesaid and all costs, charges, expenses and payments properly incurred or made in maintaining, defending or realising his rights hereunder and shall pay over the surplus, if any, to the Borrower, his executors, administrators or personal representatives:

PROVIDED FURTHER that the aforesaid power of taking possession or selling of the said Motor Car shall not prejudice the right of the Governor to sue the Borrower or his personal representatives for the said balance remaining due or in the case of the Motor Car being sold the amount by which the net sale proceeds fall short of the amount owing and the Borrower hereby further agrees that so long as any moneys are remaining due and owing to the Governor, he, the Borrower, will insure and keep insured the said Motor Car against loss or damage by fire, theft or accident with an Insurance Company to be approved by the Accountant-General, Bihar, and will produce evidence to the satisfaction of the Accountant-General that the Motor Insurance Company with whom the said Motor Car is insured have received notice that the Governor is interested in the Policy and the Borrower hereby further agrees that he will not permit or suffer the said Motor Car to be destroyed or injured or to deteriorate in a greater degree than it would deteriorate by reasonable wear and tear thereof and further that in the event of any damage or accident happening to the said Motor Car the Borrower will forthwith have the same repaired and made good.

THE SCHEDULE

Description of Motor Car
Maker's name
Description
No. of cylinders
Engine no.
Chassis no.
Cost Price

IN WITNESS whereof the said (Borrower's name) and
..... for and on behalf of the Governor have hereunto
set their respective hands the day and year first above written.

Signed by the said :.....

(Borrower's name and designation)
in the presence of

(1)

(2)

(Signature of witnesses.)

.....
(Signature and designation of the Borrower).

Signed by (name and designation)

.....
for and on behalf of the Governor
of Bihar in presence of

.....
(Signature and designation of the Officer).

(1)

(2)

(Signature of witnesses)

बिहार मजद (बसाधारण) ७४९-५७१-१०००